न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1925/2006/अजमेर

1. मोहनलाल
2. गोपी
   –पुत्रगण रामा
3. श्रीमती छोटी बेवा भैंरू
4. पप्पू पुत्र स्वर्गीय भैंरू

–समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।

....अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार ।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्रीमती पूनम माथुर, अति.राजकीय अधिवक्ता, सरकार।

निर्णय

दिनांकः– 24–09–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील सं. 24/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–03–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 820 मिन जिसके नवीन खसरा संख्या 1158 रकबा 4 बीघा कायम किए गए, उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी राज्य सरकार ने जवाबदावा पेश कर वाद कथनों को अस्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन विवाद्यक विरचित किए तथा कायम किए गए प्रत्येक विवाद्यकों को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 19-12-2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-03-2006 से खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-12-2003 को यथावत रख दिया तथा अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश में यह भी विवेचित किया कि अपीलार्थीगण कब्जे के आधार पर विवादित रकबे का नियमानुसार नियमन कराने हेतु स्वतंत्र है और सक्षम अधिकारी को नियमन हेतु आवेदन कर सकते है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-03-2006 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता को साबिक खसरा संख्या 820 में दिनांक 23-06-1967 को 4 बीघा भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है तथा आवंटन के समय आराजी की किस्म चरागाह दर्ज नहीं थी।

यहीं नहीं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2023–2026 में आराजी रामा के नाम दर्ज थी तथा इसके बाद गिरदावरी में लगातार उनका नाम दर्ज होता रहा है किन्तु आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आराजी सम्वत 2042 में चरागाह दर्ज हुई थी। यहीं नहीं जिस समय विवादित आराजियात का आवंटन हुआ था, उस समय भूमि सिवायचक दर्ज थी। इसके अतिरिक्त आवंटन व कब्जा अन्य कई व्यक्तियों के साथ रहा है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण भूमिहीन कृषक है। उनका तर्क है कि विवादित आराजियात रेकार्ड में बारानी–तृतीय भूमि थी, जिसके अनेक नवीन खसरा नम्बरान कायम किए गए तथा एक खसरा संख्या 1158 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा भी कायम किया गया, जो बारानी तृतीय किस्म की भूमि थी, जो कि बाद में चरागाह दर्ज हो गई। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–03–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2003 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत विद्वान अति.अधिवक्ता ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत कहा है। उनका कहना है कि विवादित रकबे पर अपीलार्थीगण की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी की है, इस कारण उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सम्पादित की गई है। इसके अतिरिक्त सम्वत 2033 से पूर्व का अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात पर कब्जा साबित नहीं है। यहीं नहीं अपीलार्थीगण ने अपना वाद मियाद से बाधित पेश किया है। उनका तर्क है कि चूँकि विवादित रकबा रेकार्ड में चरागाह दर्ज है, इस कारण ऐसी भूमियों की नियमानुसार खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीगण को विवादित रकबे का निश्चित समय के लिए आवंटन किया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेंक्षित नहीं

है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अपास्त कर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हम पाते है कि प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में सिवायचक चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है। विधायिका की मंशा के अनुसार रेकार्ड में दर्ज चरागाह भूमि का नियमानुसार किसी भी कृषक के पक्ष में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। पत्रावली में प्रदर्श–1 उपलब्ध है। पट्टे के अनुसार आवंटन सीमित अवधि यथा सम्वत 2024–2033 तक के लिए ही किया गया है। साबिक खसरा संख्या 820 के अनेक नवीन नम्बरान कायम किए गए है। अपीलार्थीगण विवादित रकबे पर अपना कब्जाकाश्त कथित करते है, परन्तु खसरा गिरदावरियों के अनुसार अलग–अलग वर्षो में अलग–अलग क्षेत्र पर उनका कब्जा अंकित रहा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित रकबा चरागाह भूमि दर्ज है तथा अपीलार्थीगण ने आवंटन के बाद से ही आराजी बाबत अंकन नहीं कराया है। पत्रावली में विवादित रकबे बाबत आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध है किन्तु अपीलार्थीगण ने साक्ष्य से आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है। तर्क के लिए विवादित रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त मान भी लिया जाए तो भी विधायिका की मंशा अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आने के कारण अपीलार्थीगण किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। पत्रावली का विधायिका की भावना के अनुसार सम्यक रूप से विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि अपीलार्थीगण का विवादित रकबे पर हैसियत केवल मात्र एक अतिक्रमी से ज्यादा कुछ नहीं है।

8. प्रकरण की पृष्ठभूमि के तहत उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का परीक्षण करने पर हम पाते है कि न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। अतिक्रमी हमेशा अतिक्रमी एवं दण्ड का भागी ही रहता है। अतः उसे वैधानिक रूप से आवंटी एवं खातेदार के स्थान पर नहीं बैठाया जा सकता है। इस क्रम में 2010 (1) आरआरटी पेज 157 का दृष्टान्त पूर्ण रूप से लागू होता है। विधि का यह सुस्पष्ट प्रावधान है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाकर उसके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए। अतः हमारी विनम्र राय में मामले में उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-12-2003 विधि सम्मत पाया जाता है।

9. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील को न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन अपील में किए गए सम्पूर्ण विवेचन से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है क्योंकि न्यायालय ने उनके समस्त उपलब्ध समस्त रेकार्ड को विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। अतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं समझते है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः-

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any

substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-03-2006 तथा उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-12-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य